

ओबीसी के छात्रावास आदर्श छात्रावास बनेंगे : गौर

पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री ने छात्रावासों का किया निरीक्षण, व्यवस्थाओं का लिया जायजा

नवभारत न्यूज
रीवा, 21 अप्रैल, पिछड़ावर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण, विमुक्त धूमतू और अर्धधूमतू कल्याण राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्रीमती कृष्णा गौर ने रीवा जिले के प्रवास के दौरान शासकीय पिछड़ावर्ग पोस्ट मेट्रिक बालक एवं बालिका छात्रावासों का निरीक्षण किया।

इस अवसर पर उन्होंने कहा कि बालक व बालिका छात्रावासों को आदर्श छात्रावास बनाया जायेगा। उन्होंने बालक छात्रावास की जर्जर स्थिति को देखते हुए वहाँ रह रहे छात्रों को तत्काल किराये के कमरों में शिफ्ट करने के निर्देश विभागीय अधिकारियों को दिये। मंत्री श्रीमती गौर ने बालक छात्रावास के निरीक्षण के दौरान निर्देशित किया कि जर्जर छात्रावास भवन के स्थान पर सुविधायुक्त अच्छे छात्रावास



भवन बनाया जायेगा। बालिका छात्रावास में श्रीमती गौर ने छात्राओं से संवाद करते हुए कहा कि खूब मन लगाकर पढ़ें तथा अपने व अपने परिजनों के सपनों को पूरा करें। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी व मुख्यमंत्री जी के

बेटी पढ़ाओं बेटी बढ़ाओं के संकल्प को पूरा करने का प्रयास प्रत्येक स्तर पर जारी है। पिछड़ावर्ग व अल्पसंख्यक छात्र-छात्राओं को शासन स्तर से उच्च शिक्षा के लिये अनेक सहायता व योजना संचालित की जा रही है

जिनके माध्यम से वह देश के बड़े संस्थानों व विदेशों में भी अध्ययन कर रहे हैं। श्रीमती गौर ने कहा कि देश व समाज को बदलने में बेटियों को आगे आना होगा और हमारी बेटियों किसी से कम नहीं हैं। उन्होंने बताया कि प्रदेश में 30

छात्रावासों को प्रारंभिक तौर पर आदर्श छात्रावास बनाया जा रहा है। जहाँ सर्वसुविधायुक्त छात्रावास भवन के साथ ही विद्यार्थियों को निःशुल्क मेस के माध्यम से भोजन की भी व्यवस्था रहेगी।

रीवा के दोनों छात्रावासों को भी आगामी प्रोजेक्ट में शामिल किया जायेगा और आदर्श छात्रावास बनेंगे। उन्होंने बालिका छात्रावास के किचन के आगामी दो दिनों में सुधार कार्य प्रारंभ

करने के निर्देश अधिकारियों को देते हुए कहा कि बेहतर किचन की व्यवस्था सुनिश्चित कराये। निरीक्षण के दौरान जिला भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र गुप्ता, सहायक संचालक पिछड़ावर्ग श्रीमती सुमन द्विवेदी सहित छात्रावास अधीक्षक तथा विभागीय अधिकारी व संबन्धितजन उपस्थित रहे। इससे पूर्व मंत्री श्रीमती गौर स्थानीय जनों से भेंट की और छात्रावास की जानकारी ली।



नैतिक मूल्यों को कैडेट्स आत्मसात करें : चटर्जी

नवभारत न्यूज
रीवा, 21 अप्रैल, सैनिक स्कूल रीवा में ब्रिगेडियर अमित चटर्जी, निरीक्षण अधिकारी, सैनिक स्कूल सोसाइटी, रक्षा मंत्रालय, नयी दिल्ली का आगमन हुआ। इस अवसर पर प्रातः 08:00 बजे विद्यालय के मानेकशों सभागार में विशेष सभा का आयोजन किया गया।

कार्यक्रम का शुभारंभ कैडेट्स द्वारा प्रस्तुत स्वागत गान से हुआ, जिसके उपरांत कैडेट्स ने सारगर्भित एवं प्रभावशाली भाषण प्रस्तुत किए। मुख्य अतिथि ने कैडेट्स को सम्बोधित करते हुए मानवीय व नैतिक मूल्यों को आत्मसात करने का सन्देश तथा सफलता के लिए अनुशासन व समयनिष्ठता को महत्वपूर्ण बताया। मुख्य अतिथि ने कैडेट्स को विद्यालय के पाठ्यक्रम एवं

दैनिक दिनचर्या का अनुशासनपूर्वक पालन करने हेतु प्रेरित किया। सभा के अंत में कर्नल अविनाश रावल, वी एसएम, प्राचार्य, सैनिक स्कूल रीवा के द्वारा धन्यवाद ज्ञापन किया। राष्ट्रपान के साथ सभा का समापन हुआ।

प्रातः 9 बजे विद्यालय के चाणक्य हॉल में प्राचार्य ने निरीक्षण अधिकारी के समक्ष विद्यालय का वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया, जिसमें प्राचार्य ने विद्यालय में चल रही समस्त शैक्षणिक व प्रशासनिक गतिविधियों के साथ-साथ विभिन्न प्रगतिशील एवं विकासत्मक परियोजनाओं का विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया। इसी श्रंखला में निरीक्षण अधिकारी ने समस्त विद्यालय कैम्पस, पुस्तकालय, क्राफ्ट लैब इत्यादि का निरीक्षण व अवलोकन किया।

वैवाहिक कार्यक्रम के दौरान विवाह घर में लगी आग

नवभारत न्यूज
रीवा, 21 अप्रैल, रीवा शहर के चोरहटा थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम दुआरी में संचालित इमारत विवाह घर में बीती रात्रि वैवाहिक कार्यक्रम के दौरान बड़ा हादसा होते-होते तल गयी। कार्यक्रम में मौजूद लोगों के जागरूकता और सूचना पर तत्काल पहुंची चौरहटा पुलिस की मदद से एक बड़ी अहनोनी

तल गई। मिली जानकारी के मुताबिक रीवा शहर के चोरहटा थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम दुआरी में संचालित इमारत विवाह घर में बीती रात्रि वैवाहिक कार्यक्रम के दौरान अचानक सामने के परदे में आग लपटे निकले लगे। विवाह घर के परदे से आग की लपटे निकलते देखा लोगों में भय व्याप्त हो गया और तत्काल बिना समय गंवाए चोरहटा पुलिस को सूचना

दी गई। वही लोगों द्वारा स्वयं की व्यवस्था से परदे में लगी आग को बुझाने के प्रयास शुरू किए गए। समय रहते आग की लपटों पर काबू पा लिया गया वहीं मौके पर तत्काल पहुंचे चोरहटा थाना प्रभारी पवन शुक्ला ने बिजली विभाग के अधिकारियों को सूचना देकर तत्काल विद्युत सप्लाई को बंद कराया जिससे एक बड़ा हादसा तल गया। आग

कैसे और किन परिस्थितियों में लगी अभी इसकी जानकारी नहीं मिल पाई है। ऐसा माना जा रहा है की आज पास ही लगे ट्रांसफार्मर से निकली चिंगारी या फिर आतिशबाजी के दौरान पटाखों से निकली चिंगारी से लग सकती है फिलहाल मौके पर मौजूद लोगों और पुलिस की सतर्कता से एक बड़ी दुर्घटना तल गई।

आपसी समझौते से 9 को होगा प्रकरणों का निराकरण

नवभारत न्यूज
रीवा, 21 अप्रैल, आगामी 9 मई को जिला न्यायालय रीवा सहित सभी तहसील न्यायालयों में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा।

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश राकेश मोहन प्रधान के मार्गदर्शन तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव समीर कुमार मिश्र के नेतृत्व में

आयोजित होने वाली इस अदालत में पक्षकारों को अपने पुराने विवादों को आपसी सहमति से सुलझाने का सुनहरा अवसर मिलेगा। इस लोक अदालत को सफलता सुनिश्चित करने के लिए नवीन जिला न्यायालय भवन के कॉन्फ्रेंस हॉल में बीमा कंपनियों, बैंक प्रबंधकों और अधिवक्ताओं के साथ बैठकें की जा रही हैं, 9 को लोक अदालत होगी।

दूषित पानी की शिकायत मिलने पर त्वरित निराकरण करें : बाबा

नवभारत न्यूज
रीवा, 21 अप्रैल, भूपण गर्मी को दृष्टिगत रखते हुए शहर की जल प्रदाय व्यवस्था को सुदृढ़ एवं प्रभावी बनाने के उद्देश्य से महापौर अजय मिश्रा 'बाबा' ने मंगलवार को जल प्रदाय विभाग की समीक्षा बैठक ली।

बैठक में महापौर ने नागरिकों द्वारा प्राप्त शिकायतों, विशेषकर वार्ड क्रमांक 16 में दूषित पानी की समस्या पर गंभीरता व्यक्त करते हुए अधिकारियों को निर्देशित किया कि सभी शिकायतों का

त्वरित संज्ञान लेकर उनका शीघ्र निराकरण सुनिश्चित करें, बोरवेल से दूषित पानी आने की शिकायत पर उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि दो दिवस के भीतर लोकेज का पता लगाकर समस्या का समाधान किया जाए। महापौर ने बताया कि वार्ड क्रमांक 05 हरिजन बस्ती वार्ड 11, 12, 13, 14 एवं 16 के विभिन्न क्षेत्रों से भी दूषित पानी की शिकायतें प्राप्त हो रही हैं। इन क्षेत्रों में टीम लगाकर शीघ्रता से समाधान सुनिश्चित करें। आवश्यकतानुसार पाइप

लाइन रिप्लेसमेंट का कार्य प्राथमिकता से किया जाए, जहां नई पाइपलाइन बिछाई जा चुकी है, वहां पुरानी पाइपलाइन से सप्लाई बंद कर नई लाइन से कनेक्शन कर अपूर्ति सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि शहर में लगातार निर्माण कार्य एवं अन्य विभागों द्वारा पाइपलाइन बिछाए जाने के दौरान जल पाइपलाइन क्षतिग्रस्त हो जाती है, साथ ही उन्हें सही तरीके से पुनः नहीं जोड़ा जाता, जिससे लोकेज की समस्या उत्पन्न होती है। ऐसी

स्थिति में संबंधित विभागों पर पेनाल्टी अधिरोपित की जाए। महापौर ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि लोकेज रिपेयरिंग कार्य में विशेष सावधानी बरती जाए, क्योंकि इसी कारण दूषित पानी की समस्या उत्पन्न होती है। साथ ही जल रिसाव से व्यर्थ जल भी बहता है, जिससे जल आपूर्ति भी प्रभावित होती है। बैठक में अमृत 2.0 योजना के अंतर्गत प्रसारित पेयजल टैंकों के निर्माण कार्य की समीक्षा की गई।

संक्षिप्त



12 परीक्षा केन्द्रों में होगी नीट की परीक्षा

रीवा, आगामी 3 मई को शहर के 12 परीक्षा केन्द्रों में नीट की परीक्षा का आयोजन किया जायेगा। प्रभारी कलेक्टर श्रीमती सपना त्रिपाठी ने परीक्षा केन्द्रों में सभी आवश्यक व्यवस्थायें व सुविधाएँ दुरुस्त रखने के निर्देश दिये। कलेक्टर के मोहन सभागार में आयोजित बैठक में प्रभारी कलेक्टर ने केन्द्राध्यक्षों को परीक्षा केन्द्र में पीने के पानी, कमरों में पंखों तथा जनरेटर सेट की अनिवार्यता उपलब्धता के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि केन्द्र के बाहर अभिभावकों के लिये उचित व सुविधाजनक स्थान में छाया की व्यवस्था भी सुनिश्चित कराई जाय। श्रीमती त्रिपाठी ने बताया कि परीक्षा से पूर्व 27 अप्रैल तक प्रत्येक परीक्षा केन्द्र के लिये आबजर्बर नियुक्त कर दिये जायेंगे। परीक्षा केन्द्र की वीडियोग्राफी होगी तथा सुरक्षा के पुरखा इंतजाम के साथ निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित कराई जायेगी। उन्होंने प्रभारी अधिकारी डिप्टी कलेक्टर सुरभि जैन को निर्देशित किया कि सभी तैयारियों का जायजा लेने के लिये केन्द्रों का भ्रमण अवश्य कर लें। उल्लेखनीय है कि 3 मई को अपराह्न 2 बजे से शाम 5 बजे तक 12 परीक्षा केन्द्रों में नीट परीक्षा आयोजित होगी। दिव्यांगजनों के लिये एवं घण्टा अतिरिक्त समय नियत किया गया है। बैठक में केन्द्राध्यक्षों ने परीक्षा केन्द्रों में व्यवस्थाओं के संबंध में जानकारी ली। इस दौरान डिप्टी कलेक्टर राजेश सिन्हा, डिप्टी कलेक्टर सुरभि जैन सहित केन्द्राध्यक्ष उपस्थित रहे।

कमिश्नर ने आम जनता के आवेदन पत्रों में की सुनवाई

रीवा, कमिश्नर बीएस जामोद ने कमिश्नर कार्यालय सभागार में आयोजित जनसुनवाई में आमजनता के आवेदन पत्रों में सुनवाई की। बैठक में प्रमोद पाण्डेय ने पेंशन और जीपीएफ की संशोधित राशि प्रदान करने के लिए आवेदन दिया। कमिश्नर ने पुलिस अधीक्षक को इस संबंध में कार्यवाही के निर्देश दिए। महिमा बाथम तथा अकिंत शर्मा ने उनकी कक्षाओं में 75 प्रतिशत से कम उपस्थिति रहने पर परीक्षा में शामिल होने की अनुमति के लिए आवेदन किया। कमिश्नर ने संयुक्त संचालक शिक्षा को आवेदन पत्र में कार्यवाही के निर्देश दिए। जनसुनवाई में विजय चौरसिया तथा जंगबहादुर सिंह ने अनुकंपा नियुक्ति और पेंशन प्रकरणों के निराकरण के लिए आवेदन दिया। कमिश्नर ने अधीक्षक यंत्री जल संसाधन तथा सभागीय पेंशन अधिकारी को प्रकरणों के निराकरण के निर्देश दिए। जनसुनवाई में जमीन से अवैध कब्जा हटाने, आम रास्ता बहाल कराने, जगन्नाथ मंदिर रीवा के सामने के सेप्टिक टैंक को हटाने, भू अर्जन की राशि प्रदान करने तथा अन्य आवेदनों पर सुनवाई की गई। जनसुनवाई में सभी सभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।

प्लेसमेंट ड्राइव 24 को

रीवा, शासकीय सभागीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था रीवा में युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए प्लेसमेंट ड्राइव का आयोजन नियमित रूप से किया जा रहा है। संस्था के प्राचार्य सोरभ शुक्ला ने बताया कि आगामी 24 अप्रैल को सुबह 10 बजे से हीरो मोटोकॉर्प प्राइवेट लिमिटेड, हरिद्वार (उत्तराखण्ड) द्वारा एक प्लेसमेंट ड्राइव का आयोजन किया जा रहा है। इसमें आईटीआई के समस्त इंजीनियरिंग और नॉन-इंजीनियरिंग ट्रेड के उत्तीर्ण महिला एवं पुरुष अभ्यर्थी भाग ले सकते हैं। ड्राइव में शामिल होने वाले उम्मीदवारों की आयु सीमा 18 से 26 वर्ष निर्धारित की गई है। चयनित होने वाले प्रशिक्षार्थियों को 24933 रुपए प्रतिमाह का मानदेय व नियमानुसार अन्य सुविधाएँ प्रदान की जाएगी। इच्छुक आवेदक अपने समस्त मूल दस्तावेज और पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ के साथ नियत समय पर इंटरव्यू के लिए उपस्थित हो सकते हैं। प्राचार्य ने बताया कि 21 अप्रैल को भी संस्थान में महाराष्ट्र की प्रसिद्ध कंपनी एलएंडटी कंस्ट्रक्शन, पनवेल द्वारा अप्रेंटिसशिप के पदों के लिए चयन प्रक्रिया आयोजित की गई। प्रशिक्षार्थियों में से 42 योग्य उम्मीदवारों का चयन कंपनी द्वारा किया गया है।



महापौर अजय मिश्रा बाबा जल प्रदाय विभाग की समीक्षा बैठक में

प्रशासन की तत्परता से रुका बाल विवाह

नवभारत न्यूज
रीवा, 21 अप्रैल, बाल विवाह कानूनन अपराध है। इसके बावजूद कई लोग अभी भी अज्ञानतावश बाल विवाह की ओर कदम बढ़ा देते हैं।

जवा विकासखण्ड में बाल विवाह के संबंध में प्रभारी कलेक्टर श्रीमती सपना त्रिपाठी को सूचना मिली। प्रभारी कलेक्टर ने तत्काल महिला एवं बाल विकास विभाग, पुलिस विभाग तथा राजस्व अधिकारियों



को बाल विवाह रोकने के लिए समुचित कार्यवाही के निर्देश दिए। स्थानीय प्रशासन एवं महिला एवं बाल विकास विभाग की टीम ने संयुक्त कार्यवाही

करते हुए स्वयंसेवी संस्थाओं के सहयोग से बाल विवाह रोकवाया। टीम ने बच्ची के परिजनों से बातचीत कर उन्हें बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के

प्रावधानों की जानकारी दी और बताया कि 18 वर्ष से कम आयु की बच्ची का विवाह कानूनन अपराध है। समझाइश के बाद परिजनों ने विवाह न करने पर सहमति जताई। मौके पर पंचनामा तैयार कर परिजनों से लिखित में लिया गया कि वे बच्ची के बाल्या होने तक उसका विवाह नहीं करेंगे। अधिकारियों ने बताया कि बच्ची अभी नाबालिग है और उसका संरक्षण सुनिश्चित किया गया है।

भू-संपदा अधिनियम प्रमोटर एवं क्रेता के हित संरक्षण में उपयोगी : बहुगुणा

नवभारत न्यूज
रीवा, 21 अप्रैल, मध्यप्रदेश भू संपदा विनियामक प्राधिकरण (रेरा) के सचिव राजेश बहुगुणा ने बताया कि भू संपदा अधिनियम प्रमोटर एवं क्रेता के हित संरक्षण में उपयोगी है।

इसमें पंजीयन कराने से प्रमोटर की विश्वसनीयता व पारदर्शिता बढ़ती है और यह किसी प्रोजेक्ट को असफल होने से रोकता है। कलेक्टर के मोहन सभागार में आयोजित जागरूकता कार्यक्रम में श्री बहुगुणा ने पावर प्वाइंट के

माध्यम से रेरा में पंजीयन से लेकर उसके अधिकार व उद्देश्यों का विस्तार से प्रस्तुतिकरण किया। उन्होंने बताया कि वर्ष 2017 से मध्यप्रदेश में आरंभ हुए रेरा में भारत सरकार ने रियल स्टेट के लिये अधिनियम बनाया जो समय पर कार्य की पूर्णता के साथ यह सुनिश्चित करता है कि क्रेता को अनुबंध के अनुसार नियत अवधि में संपदा प्राप्त हो। यह सहकारी समितियों के साथ-साथ शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों की संपदा पर क्रियाशील है। इसके माध्यम से

परियोजनाओं के पंजीयन, नवीनीकरण व सुनवाई के अवसर उपलब्ध होते हैं। उन्होंने अपेक्षा की कि रेरा में पंजीयन कराकर प्रमोटर अपनी साख बनायें तथा क्रेता को पारदर्शी व विश्वसनीय अवसर उपलब्ध करायें। कार्यशाला में शिल्पी कंसट्रक्शन के अम्बरीष द्विवेदी सहित अन्य प्रमोटर ने आवश्यक सुझाव दिये। इस अवसर पर प्रभारी कलेक्टर श्रीमती सपना, त्रिपाठी, डिप्टी कलेक्टर राजेश सिन्हा, डिप्टी कलेक्टर सुरभि जैन मौजूद रही।

आमजनों की सुनी गई समस्याएँ

रीवा, 21 अप्रैल, कलेक्टर में आयोजित जनसुनवाई में दूर-दराज के क्षेत्रों से आए ग्रामीणों और आम नागरिकों की समस्याएँ सुनी गईं। जनसुनवाई में मुख्य रूप से पेयजल आपूर्ति में सुधार, अवैध अतिक्रमण को हटाने, प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत किशतों के भुगतान और गंभीर बीमारियों के उपचार के लिए आर्थिक सहायता से संबंधित आवेदन पत्र प्राप्त हुए। डिप्टी कलेक्टर सुरभि जैन और डिप्टी कलेक्टर सुरभि जैन ने 80 व्यक्तियों के आवेदन पत्रों में सुनवाई कर निराकरण के निर्देश दिये गये।

अधिकारी-कर्मचारी सप्ताह में दो घंटे जल संरक्षण के लिए श्रमदान करें : जामोद

नवभारत न्यूज
रीवा, 21 अप्रैल, कमिश्नर कार्यालय सभागार में आयोजित समीक्षा बैठक में कमिश्नर बीएस जामोद ने जल गंगा संवर्धन अभियान की समीक्षा की।

कमिश्नर ने कहा कि मुख्यमंत्री जी की उच्च प्राथमिकता में जल गंगा संवर्धन

अभियान शामिल है। जल संरक्षण और संवर्धन के लिए बनाई गई कार्ययोजना के अनुसार सभी विभाग कार्य करें। जल संरक्षण और संवर्धन केवल अभियान नहीं है, यह धरा पर जीवन बचाने का अभियान है। हमने समय रहते जल संरक्षण के सही प्रयास नहीं किए तो भावी पीढ़ी का जीवन



सुरक्षित नहीं रहेगा। पक्के भवनों में वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाकर तथा पेयजल

स्रोतों में रिचार्ज पिट बनाकर करोड़ों लीटर पानी का संरक्षण किया जा सकता है। संभाग के

सभी जिलों में जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत जल संरक्षण का अभियान चलाएँ। इस अभियान में सभी अधिकारी और कर्मचारी हर हफ्ते कम से कम दो घंटे जल संरक्षण कार्यों के लिए श्रमदान करें।

अभियान में जनप्रतिनिधियों, गणमान्य नागरिकों, सामाजिक संगठनों

तथा आमजनता का भी पूरा सहयोग लें। सबके सामूहिक प्रयासों से ही जल संरक्षण और संवर्धन का प्रयास सफल होगा। सभागीय अधिकारियों के दल तैनात किए जा रहे हैं। इन दलों के द्वारा जल संरक्षण के कार्यों की निगरानी के साथ इसमें सहयोग दिया जाएगा। बैठक में अधिकारीगण मौजूद रहे।